

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-700400 / 16संस्थित दिनांक-12.07.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मोहरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाटव उम्र 48 साल

निवासी सुमेर कालोनी गोहद चौराहा

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 29.11.16को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 05.06.16 को समय लगभग 12:20 बजे, पिपाहडी हैट नहर की पुलिया के पास हैण्डपंप के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर देशी हाथ की बनी अधिया तथा तीन जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाये गये।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 05.06.16 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार पाठक शासकीय वाहन एम0पी0-03 ए 1406 से रवाना हुए। दौरान भ्रमण ग्राम लोधे की पाली में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिट्टू बेग में अधिया लेकर मानहड गांव से गोहद चौराहा तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक पर मय फोर्स पिपाहडी हैट नहर की पुलिया के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति गुजरा जिसे रोका तो वह छिटककर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी करके पकड़ा। अपना नाम मोहरसिंह पुत्र मंगलसिंह आयु 48 निवासी सुमेर कोलोनी गोहद चौराहा बताया। पीठ में लगा पिट्टू बेग चैक किया तो उसमें एक अधिया 315 बोर की देशी हाथ की बनी मिली जिसमें एक 315 बोर का जिंदा कारतूस लगा मिला। अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर पैंट की दांयी जेब में दो 315 बोर के कारतूस मिले। अभियुक्त से उक्त आग्नेय आयुध रखने की अनुज्ञप्ति के संबंध में पूछे जाने पर अनुज्ञप्ति न होना बताया गया। अभियुक्त से उक्त अधिया व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया गया, उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाया गया। थाना वापस आकर अप0क्र0-130 / 16 पर अपराध पंजीबद्ध

किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.06.16 को समय लगभग 12:20 बजे, पिपाहडी हैट नहर की पुलिया के पास हैण्डपंप के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर देशी हाथ की बनी अधिया तथा तीन जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुनील बौहरे अ0सा0 1, महेन्द्र भदौरिया अ0सा0 2, एसआई रामकुमार पाठक अ0सा0 3, आर0 विक्रमसिंह अ0सा0 4, आर0 अजीत सिकरवार अ0सा0 5, किशनलाल अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता अधिकारी रामकुमार पाठक अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे घटना दिनांक 05.06.16 को थाना गोहद चौराहा में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को दौरान इलाका भ्रमण वारंटी की तलाश व अपराध की विवेचना हेतु लोधे की पाली शासकीय वाहन से मय फोर्स एसआई सत्यवीरसिंह, मोहरसिंह, अजीतसिंह, विक्रमसिंह, गौरीशंकर तथा जितेन्द्र के साथ गए थे। दौरान इलाका भ्रमण लोधे की पाली में सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिट्टू बेग में अधिया लेकर मानहड गांव से गोहद की ओर जा रहा है। सूचना पर मय फोर्स पिपाहडी हैट नहर की पुलिया के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति को रोका जो फोर्स को देखकर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से अजीत व विक्रमसिंह ने घेरकर पकड़ा। उससे नाम पूछने पर अपना नाम मोहरसिंह पुत्र मंगलसिंह आयु 48 निवासी गोहद चौराहा बताया। उसकी पीठ में लगा पिट्टू बेग चैक किया तो उसमें एक अधिया 315 बोर की देशी हाथ की बनी मिली जिसे निकालकर खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का राउण्ड लगा था। उसकी जामा तलाशी लेने पर पैंट की दांयी जेब में दो 315 बोर के कारतूस मिले। अभियुक्त से उक्त आग्नेय आयुध रखने की अनुज्ञप्ति के संबंध में पूछे जाने पर अनुज्ञप्ति न होना बताया गया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का होने से अभियुक्त से अधिया व कारतूस जब्तकर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 3 साक्षी अजीत व विक्रमसिंह के सामने बनाया जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। इसके पश्चात् गिर0 कर

गिर0 पत्रक प्र0पी0 4 बनाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। थाना वापसी पर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्जकर उक्त रोजनामचा की प्रति प्र0पी0 5 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसके बाद अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की प्राथमिकी प्र0पी0 6 के रूप में पंजीबद्ध कर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी न्यायालय में उक्त जब्तशुदा अधिया बंदूक आर्टीकल ए1 तथा कारतूस ए2, ए3 तथा ए4 के रूप में प्रमाणित करते हैं।

7. जब्ती साक्षी विक्रमसिंह तथा आरक्षक अजीत अ0सा0 5 दोनों जब्तीकर्ता अधिकारी के कथनों की पुष्टि करते हुए अभिकथित दिनांक को जब्तीकर्ता अधिकारी के साथ लोधे की पाली में शासकीय वाहन से फोर्स सहित जाने का कथन करते हैं और लोधे की पाली में भ्रमण के दौरान सहायक उपनिरीक्षक को सूचना मिलने पर बताए स्थान पिपाहडी हैट नहर की पुलिया पर पहुंचकर अभियुक्त को मय आग्नेय आयुध 315 बोर की अधिया व तीन कारतूसों सहित पकड़े जाने का कथन करते हैं तत्पश्चात् जब्ती कर जब्ती पत्रक प्रपी 3 व गिर0 पत्रक प्र0पी0 4 पर अपने क्रमशः बी से बी तथा सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से अभियुक्त के आधिपत्य से आग्नेय आयुधों की जब्ती के तथ्य को जब्ती साक्षियों द्वारा पुष्ट किया गया है। जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 पर नमूना सील भी अंकित है। प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा आरक्षी केन्द्र से सुबह 9:35 बजे रवाना होने का कथन किया है वैसा ही कथन आरक्षक विक्रमसिंह अ0सा0 4 व आरक्षक अजीत अ0सा0 5 के द्वारा किया गया है साथ ही भ्रमण में जिन गांव व स्थानों पर जाना बताया है उक्त स्थानों की भी पुष्टि की गयी है। घटनास्थल पिपाहडी हैट नहर की पुलिया पर साक्षीगण ने दोपहर करीब 12-12:10 बजे पहुंचने का कथन किया है। इस प्रकार से उक्त सभी साक्षियों ने एक रूपता से अभियुक्त से आग्नेय आयुध जब्त किए जाने व उसकी परिस्थितियों का समर्थन किया गया है।

8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उसे रंजिश प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। अभिकथित रंजिश किस प्रकार की व किससे थी इसका कोई भी कथन अभिलेख पर नहीं हैं। यहां तक कि जब्तीकर्ता अधिकारी एएसआई रामकुमार अ0सा0 3 को अभिकथित रंजिश के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया। यहां यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं अभियुक्त की ओर से जब्तीस्थल व घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में रामकुमार अ0सा0 3 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5, आरक्षक विक्रम से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में तथा आरक्षक अजीत से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्त अपने मित्र के साथ गोहद चौराहा आ रहा था अभियुक्त के मित्र से मोटरसाईकिल के दस्तावेज मांगने और दस्तावेज न होने से मुंहवाद हो जाने से असत्य प्रकरण पंजीबद्ध किया है। किन्तु इस प्रकार से किसी भी मित्र को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अभिकथित मित्र कौन था और कौनसी मोटरसाईकिल थी इस

संबंध में कोई कथन किया गया हो। बल्कि उक्त सुझाव से घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को समर्थन मिलता है।

9. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया है कि कथित जब्तीस्थल सार्वजनिक स्थान बताया गया है जिस पर लोगों का आना जाना रहता है और कोई भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा जब्ती का साक्षी नहीं बनाया गया है ऐसे में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। इस संबंध में रामकुमार अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 उल्लेखनीय है जिसमें यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि कथित जब्ती स्थल पिपाहडी हैट नहर की पुलिया एक आम रास्ता है जिस पर लोगों का आना जाना दिनभर रहता है किन्तु इस सुझाव से इंकार करते हैं कि जब वे कथित स्थान पर पहुंचे तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद था और यह भी कथन करते हैं कि जब तक वे पिपाहडी हैट पर रुके तब तक आम रास्ते पर कोई व्यक्ति नहीं निकला। इस प्रकार से स्वतंत्र व्यक्ति की उपस्थिति न होने के संबंध में जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है। साथ ही ऐसा कोई साक्ष्य का नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जावे बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य भी साधारण साक्षी की भांति विश्लेषणीय हैं। न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य: न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टात- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

10. इस प्रकार से प्रकरण में पुलिस कर्मियों के साक्ष्य में ऐसी कोई भी विसंगति या परिस्थिति उल्लेखित नहीं हुई जिससे कि अभियुक्त के विरुद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने व साक्षियों द्वारा असत्य रूप से समर्थन किए जाने का युक्तियुक्त आधार हो। अर्थात् अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त करने का कोई आधार नहीं पाया गया है। प्रकरण में साक्षी सुनील बौहरे अ0सा0 1 आरमोरर है जो जब्तशुदा अधिया व कारतूसों की जांच करने पर अधिया के फायर योग्य व कारतूसों के फायर किए जाने योग्य होने का कथन करते हुए जांच रिपोर्ट प्रपी0 1 बताकर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। महेन्द्र भदौरिया अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के

विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0 2 बताकर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 47 के अधीन पूर्णतः सुसंगत एवं समर्थनकारी है। किशनलाल अ0सा0 6 विवेचक है जिनके द्वारा आरक्षक विक्रम व अजीत के कथन अन्वेषण में लिए जाने की पुष्टि की है।

11. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.06.16 को दोपहर करीब 12:20 बजे पिपाहडी हैट नहर की पुलिया के पास अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में एक 315 बोर की अधिया देशी हाथ की बनी तथा तीन जिंदा कारतूस 315 बोर के बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए सहपठित धारा 3 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

12. अभियुक्त अभिरक्षा में हैं।

13. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

14. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के वृद्ध एवं मजदूर होने के आधार पर एवं उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

15. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 48 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक

स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा **एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को **एक माह का सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

16. अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायाल के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

17. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

18. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश